>

Title: Need to approve de-notification of boundaries of Son Chiraiya Sanctuary as proposed by the Government of Madhya Pradesh and de-notify the area under the Sanctuary.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वन वृत ग्वालियर में 512 कि.मी. क्षेत्र में फैला सोन चिड़िया अभ्यारण्य वर्ष 1981 से स्थापित है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरई, पवा, लखनपुरा, राई, डांग चराई, सिरोल, आंतरी, महुआ खेड़ा, गुर्जा, गोटपुरा, सुजवाया एवं अन्य 27 गांव स्थापित हैं। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में 7-8 सोन चिड़िया होने का दावा वन विभाग करता है। जब कि इन ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों ने सोन चिड़िया को कभी नहीं देखा। उनका कहना है कि 15-20 वर्ष पूर्व सोन चिड़िया थी, लेकिन लंबे समय से सोन चिड़िया को किसी ने नहीं देखा है।

घाटीगांव ब्लाक में स्थापित सोन चिड़िया अभ्यारण्य में चाहे सड़क बनानी हो, नलजल योजना स्थापित करनी हो, बिजली की लाईन डालने का कार्य करना हो, यह सब नहीं हो सकता चूंकि यह अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित है। ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण, क्षेत्र में व्यापार एवं अन्य रोजगार के साधन भी बहुत कम है। इस क्षेत्र के किसान न तो अपनी जमीन बेच सकते हैं और न ही खरीद सकते हैं। इतनी सारी परेशानियां होने से, इन ग्रामों में समाज के लोग न तो अपने बेटा/बेटी की शादी करते हैं और न ही इस क्षेत्र की लड़की लेना पसंद करते हैं।

सोन चिड़िया अभ्यारण्य में स्थापित 40 ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिले जिनसे वे विगत 30 वर्ष से वंचित हैं। इस अभ्यारण्य की सीमाओं का डीनोटिफिकेशन किया जाए। जिससे प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्य आसानी से कराए जा सके। इस संबंध में सोन चिड़िया अभ्यारण्य की सीमाओं का डीनोटिफिकेशन संबंधी एक प्रस्ताव प्रदेश शासन से भारत सरकार को भेजा था, जो भारत सरकार ने अभी तक मान्य नहीं किया है। जनहित से जुड़े इस गंभीर विषय पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की मांग करती हूं।